

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)
द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011
☎ 0755-2577628, 2577629, फ़ैक्स क्र. : 2556619

क्र./एफ/एड्स/स्था./2010/2445

भोपाल, दिनांक : 01.06.2010

///आउट सोर्सिंग एजेन्सी के चयन हेतु ई.ओ.आई.///

मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति में विभिन्न पदों की संविदा आधार पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के अधीन विभिन्न पदों की पूर्ति की जानी है। इस हेतु अनुभवी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। विश्व बैंक पोषित संस्थाओं में जिन्होंने एक बार में पांच सौ अथवा अधिक उम्मीदवारों का चयन कर संबंधित विभाग को उम्मीदवार उपलब्ध करवाये हों तथा उस संस्था का वार्षिक टर्नओवर एक करोड़ रुपये अथवा अधिक हो। इस संबंध में परियोजना संचालक, मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति का निर्णय अंतिम होगा। इच्छुक निर्धारित प्रपत्र में अपना प्रस्ताव दिनांक 10.06.2010 के दोपहर 03.00 बजे तक इस कार्यालय में जमा कर सकते हैं। प्रस्ताव इसी दिन दोपहर 03:30 बजे समिति कार्यालय में खोले जायेंगे, इच्छुक प्रस्ताव खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। विस्तृत विवरण समिति की बेवसाईट www.mpsacsb.org पर देखा जा सकता है।

(एस.सी. तिवारी)
संयुक्त संचालक (वित्त एवं प्रशासन)

कार्य की शर्तें :- TOR

1. मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के विभिन्न घटकों के लिये काउंसलर/लैब टेक्नीशियन आदि पदों की पूर्ति की जानी है।
2. यह समस्त पद एक वर्ष की संविदा पर भरे जावेंगे, जिस हेतु उन्हें निश्चित मानदेय देय रहेगा।
3. इन समस्त पदों की शैक्षणिक योग्यतायें/अनुभव आदि नियत हैं, जिसके आधार पर ही आपको इन पदों के लिये उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध कराना होगी।
4. नियत योग्यता अनुभव रखने वाले आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन जारी करना तदोपरांत उनकी स्क्रीनिंग करते हुये लिखित परीक्षा आपको अपने स्तर से पूर्ण गोपनीयता बनाये रखते हुये आयोजित करना होगी।
5. लिखित परीक्षा उपरांत वरीयता क्रम के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के दो गुने के बराबर आवेदकों की सूची पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगी।
6. लिखित परीक्षा के आधार पर आवेदकों का चयन श्रेणीवार करना होगा, जिसमें आरक्षण रोस्टर लागू रहेगा।
7. समस्त आवेदकों की पूर्ण जानकारी आपको गोपनीय ढंग से परीक्षा समाप्त होने के न्यूनतम दो वर्ष तक सुरक्षित रखना होगी। किसी भी स्थिति में इस अवधि के बाद भी इन दस्तावेजों को बिना परियोजना संचालक की अनुमति के आपके द्वारा नष्ट नहीं किया जावेगा।
8. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आपने किसी भी प्रकार का कोई भी पक्षपात किया है तो आपके विरुद्ध परियोजना संचालक द्वारा निर्देशित कार्यवाही की जावेगी, जो कि आपको मान्य करना होगी।
9. दर्शित किये गये पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
10. लिखित परीक्षा की चयन प्रक्रिया तक होने वाले किसी भी न्यायालयीन प्रकरण के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
11. आपके द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूची पूर्णतः गोपनीय रखी जावेगी, जिसे सीलबंद लिफाफे में आपको नियत समय पर परियोजना संचालक, मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति को उपलब्ध कराना होगी।
12. उक्त के साथ-साथ परियोजना संचालक द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का भी आपको पालन करना होगा।
13. जो संस्थाएँ न्यूनतम मापदण्ड रखने वाली पाई जाती हैं उनसे वित्तीय प्रस्ताव पृथक से मंगाये जा सकते हैं।

14. न्यूनतम मापदण्ड –

1. संस्था का विगत 3 वर्ष का औसत वार्षिक टर्नओवर एक करोड़ रुपये अथवा अधिक होना चाहिए।
2. संस्था के पास इस हेतु वैध सक्षम स्वीकृति होना आवश्यक है।
3. संस्था ने पूर्व में विगत वित्तीय वर्ष में विश्व बैंक पोषित संस्थाओं को उनकी मांग के आधार पर उनके द्वारा नियत शैक्षणिक योग्यता/अनुभव के आधार पर खुले रूप से आवेदन पत्र आमंत्रित कर उनकी प्रतियोगी परीक्षा लेते हुए चयन कर एक बार में पांच सौ अथवा अधिक उम्मीदवार/तकनीकी उम्मीदवार उपलब्ध करवाये हों।
4. जिस संस्था आपने उक्तानुसार चयन कर उम्मीदवार उपलब्ध करवाये हों वे आपके कार्य से पूर्ण संतुष्ट हों यह भी आवश्यक है।

उक्त संबंध में प्रमाण स्वरूप दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य हैं। अन्यथा आपके प्रस्ताव पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा।

इच्छुक निर्धारित प्रपत्र में अपना प्रस्ताव दिनांक 10.06.2010 के दोपहर 03.00 बजे तक इस कार्यालय में जमा कर सकते हैं। प्रस्ताव इसी दिन दोपहर 03:30 बजे समिति कार्यालय में खोले जायेंगे, इच्छुक प्रस्ताव खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। नियत समय उपरांत प्राप्त किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(एस.सी. तिवारी)
संयुक्त संचालक (वित्त एवं प्रशासन)

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)
द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011
☎ 0755-2577628, 2577629, फ़ैक्स क्र. : 2556619

//आउट सोर्सिंग एजेन्सी के चयन हेतु //

1.	फर्म/एजेन्सी का नाम	
2.	फर्म का पूर्ण पता :	
3.	फर्म के स्वामी का नाम जोकि चयन प्रक्रिया के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा :	
4.	फर्म की स्थापना का वर्ष :	
5.	समक्ष स्वीकृति क्रमांक जारी करने का दिनांक एवं वैधता अवधि :	
6.	संस्था का विगत 3 वर्ष का औसत वार्षिक टर्नओवर :	
7.	संस्था ने पूर्व में विगत वित्तीय वर्ष में विश्व बैंक पोषित संस्थाओं को उनकी मांग के आधार पर उनके द्वारा नियत शैक्षणिक योग्यता/अनुभव के आधार पर एक बार में पांच सौ	

	अथवा अधिक उम्मीदवार चयन कर उपलब्ध करवाये हों। इस संबंध में पूर्ण विवरण अंकित करें। आपके द्वारा विगत 3 वर्षों में म.प्र. में संचालित किन-किन विश्व बैंक पोषित संस्थाओं को किस-किस पद हेतु कितने उम्मीदवार चयनित कर उपलब्ध करवाये इसकी भी पूर्ण जानकारी दें :	
8.	जिस संस्था को आपने उक्तानुसार चयन कर उम्मीदवार उपलब्ध करवाये हों वे आपके कार्य से पूर्ण संतुष्ट हों यह भी आवश्यक है। इस संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है :	

घोषणा

मैंने कार्य की समस्त शर्तें पढ़ एवं समझ ली हैं जोकि मुझे मान्य हैं। मुझे ज्ञात है कि यदि कोई भी गलत जानकारी देकर कार्य प्राप्त कर लिया है तो मेरा आदेश किसी भी वक्त म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल द्वारा निरस्त किया जा सकता है। मैं म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल द्वारा दिये गये कार्य को पूर्ण गोपनीयता से सम्पादित करूंगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे अभी तक इस कार्य हेतु किसी भी विभाग द्वारा दोषी नहीं बताया गया है।

स्थान :

फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर :

दिनांक :

फर्म का नाम :